संख्या–5 / बजट 1–09 / 2015 सा0–40

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

स्पीड पोस्ट

प्रेषक,

केशव कुमार सिंह,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक– 28.9. 2015

विषयः– **वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015–16 में बजट मुख्य शीर्ष 2070–अन्य प्रशासनिक सेवाएँ–00–115–अतिथि गृह, सरकारी होस्टल आदि–0003–सर्किट भवन, गैर योजना, मांग सं0–33, (विपत्र कोड–N2070001150003) के अन्तर्गत विभिन्न विषय शीर्षों में व्यय के लिए कुल ₹1,90,72,000/– (एक करोड़ नब्बे लाख बहत्तर हजार) मात्र का आवंटन।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित बजट मुख्य शीर्ष 2070–अन्य प्रशासनिक सेवाएँ– 00–115–अतिथि गृह, सरकारी होस्टल आदि–0003–सर्किट भवन, गैर योजना, मांग सं0–33, (विपत्र कोड–N2070001150003) के अन्तर्गत विभिन्न विषय शीर्षों में व्यय के लिए कुल ₹ 1,90,72,000/– (एक करोड़ नब्बे लाख बहत्तर हजार) मात्र संलग्न विवरणी के अनुसार आवंटित किया जाता है।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि0 17 अप्रैल 1998 एवं 396 दिनांक 24.04.2015 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।
3. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद नियमित रूप से नियुक्त कर्मी को ही किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
4. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।
5. बिहार वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।
6. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
7. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।
8. आवंटित राशि की व्यय विवरणी प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख तक मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।
9. आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति तथा विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।
10. इसकी मांग संख्या–33 एवं विपत्र कोड संख्या N2070001150003 है।
11. इसकी सूचना महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।
12. जिन पदों के विरुद्ध संविदा पर कर्मी नियमानुसार नियुक्त हैं, उनका भुगतान उसी पद से संबंधित बजट शीर्ष से किया जायेगा।
13. मासिक व्यय विवरणी एवं त्रैमासिक व्यय विवरणी नियमित रूप से विभाग को अवश्य उपलब्ध करायी जाय।
14. आवंटित राशि का विचलन अन्य इकाई में अनुमान्य नहीं है।